

03.09.25

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वंप
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना फल
अदम्य पैरवी - अदम्य हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक़ा तक़मील होकर
दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय लिखावा जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।


(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS.